RAJAS...

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण सं0 GCMS No 2022 / 38

दायरा तिथि : 14.02.2022

आदेश तिथि : 17-10-22

प्रार्थी :–

किशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत देवडा
निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

करणकुमार, प्रेमकुमार पि0 कनीराम,गवरीदेवी पत्नि कनीराम, गोतमराम, मीठेश, सकाराम, सुरेशकुमार पिसरान् बालूदासजी तमाम जाति ढोली निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 17-10-22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी किशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत देवडा निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 274 रकबा 2.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण करणकुमार, प्रेमकुमार पि0 कनीराम,गवरीदेवी पत्नि कनीराम, गोतमराम, मीठेश, सकाराम, सुरेशकुमार पिसरान् बालूदासजी तमाम जाति ढोली निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) वगैरा की सह खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 275 रकबा 1.50 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में **पीले रंग** से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03. 2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 नाना ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/ 2022/2544 दिनांक 02.09.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 274 रकबा 2.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि श्री किशोरसिंह देवडा पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपुत देवडा निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही के नाम की खातेदारी दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते क अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजुद हैं।
2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा वार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	275	1.50 हैक्ट.	बा.दो.	72X9=648 वर्गमीटर	करणकुमार पुत्र कनीराम हि. 1/15, गवरीदेवी पत्नि कनीराम हि. 1/15, गौतमराम पुत्र बालूराम हि. 1/5 प्रेसकुमार पुत्र कनीराम हि. 1/15, मीठेश पुत्र बालूराम हि. 1/5, सकाराम पुत्र बालूराम हि. 1/5, सुरेशकुमार पुत्र बालूराम हि. 1/5 जातिगण ढोली निवासी कोठार

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी.दर 98567/–रूपये प्रति हैक्टेयर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं। जिससे अन्य कोई भी क्षति नहीं है।

पेज लगातार.......02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 GCMS No 2022/38

अनवान किशोरसिंह बनाम करणकुमार वगैरा

अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सबंध में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण मीणा के माध्यम से आपत्तियॉ प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि प्रार्थी ने खसरा नंबर 275 मेंसे जिस रूट से रास्ता चाहा है, वहॉ पर अप्रार्थीगण के मौके पर मकान बने हुये है। तथा प्रार्थीगण वर्णित भूमि के सद्भाविक खातेदार न होकर मालमसिंह पुत्र अजीतसिंह निवासी कोठार से भूमि खरीद कर खातेदार दर्ज हुये है। मालमसिंह एवं उनके भाईयो की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 273 व 274 रही है, तथा पुर्व के समय से पक्ष्कारो में बंटवाडा होने के बाद मालमसिंह पुत्र अजीतसिंह के बंट में खसरा नंबर 274 की भूमि आई है। तथा पक्षकारो में हुये बंटवाडा के अनुसार खसरा नंबर 274 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 273 मेंसे रास्ता दिया गया है जो मौके पर विद्यमान है। इसके साथ ही अप्रार्थी पक्ष के द्वारा यह एतराज लिया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमियो का उपयोग खेती कार्य के लिये नहीं कर व्यवसायिक अर्थात् होटल बनाने के प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, जिनके लिये उक्त रास्ता की मांग की गई है। अपने जवाब के साथ मौके पर खसरा नंबर 275 मेंसे रास्ता उपलब्ध होने का एक नजरी नक्शा भी पेश किया गया, जिसमें लाल रंग से दर्शित ट्रैक से रास्ता उपलब्ध होना बताया।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के बाद तहसीलदार, बाली द्वारा मौका जांच के पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत होने से वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी व अप्रार्थी अधिवक्ता श्री तरूण मीणा की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 274 रकबा 2.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिये रेकर्डेड रास्ता नहीं होने से प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा आपत्तिया प्रस्तुत कर चाहे गये रूट खसरा नंबर 275 की भूमि में मौके पर अप्रार्थीगण के मकान बने होने तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुॅच के लिये खसरा नंबर 273 मेंसे रास्ता मौके पर उपलब्ध होना बताया। परन्तु तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड व मौका स्थिति के जांच के पश्चात् दिनांक 02.09.2022 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस जांच रिपोर्ट में निरीक्षक भू0अ0 नाना व तहसीलदार, बाली ने आपत्ति मे उल्लेखित एतराज की पुष्टि नहीं की। तथा तहसीलदार, बाली ने रिपोर्ट में आवेदित रूट से खसरा नंबर 275 मेंसे 72X 9=648 वर्गमीटर का रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी मेंसे दिये जाने बाबत् अनुशंषा कर दी है। अतः तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता के आदेश जारी किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थी पक्ष श्री तरूण मीणा द्वारा आपत्ति की गई कि आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये पहले से खसरा नंबर 273 मेंसे रास्ता उपलब्ध है, तथा प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिये नहीं कर होटल प्रयोजन उपयोग में लेने की चेष्टा कर रहा है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) विधि के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का भी आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 274 रकबा 2.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि कोठार के खसरा नंबर 275 रकबा 1.50 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे नवीन रेकर्डेड रास्ता की मांग की है। इस सबंध में विधिक प्रावधानो का अवलोकन करने पर जाहिर हैं कि किसानो को अपनी खातेदारी भूमियो तक आने जाने के लिये रास्ते की समस्याओ के निराकरण करने के लिये ही वर्ष 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुये धारा 251(ए) जोडी गई। जिसके तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, बाली से रेकर्ड व मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक को डी.एल.सी. दर की दुगनी दर से रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्राविधित किया गया है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं कि प्रार्थी खरिदकर्ता है, तथा पुर्व रेकर्डेड खातेदार के आवागमन के लिये पुर्व के खातेदारो के मध्य विभाजन के समय खसरा नंबर 273 से रास्ता रखा था। परन्तु आपत्ति के समर्थन में मौके पर खसरा नंबर 273 में रास्ता उपलब्ध होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियॉ औचित्य हीन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राजस्व/ 2022/2544 दिनांक 02.09.2022 के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम कोठार तहसील बाली में प्रार्थी द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 274 रकबा 2.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 275 रकबा 1.50 मेंसे 72X9=648 वर्गमीटर तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारान् को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

पेज लगातार.........03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 GCMS No 2022/38

अनवान किशोरसिंह बनाम करणकुमार वगैरा

अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 98567/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
275	1.50 हैक्ट.	72X9=648	9.86	6389X2=12778	करणकुमार पुत्र कनीराम हि. 1/15, गवरीदेवी पत्नि कनीराम हि. 1/15, गौतमराम पुत्र बालूराम हि. 1/5 प्रेसकुमार पुत्र कनीराम हि. 1/15, मीठेश पुत्र बालूराम हि. 1/5, सकाराम पुत्र बालूराम हि. 1/5, सुरेशकुमार पुत्र बालूराम हि. 1/5 जातिगण ढोली निवासी कोठार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति नहीं होने से **प्रतिकर राशि 12778/-रूपये अक्षरे बारह हजार सांत सौ अठहतर रूपये** अप्रार्थीगण खातेदारान् को आवेदक द्वारा अदा की जायेगीं अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे [illegible] नाना)

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 17-10-22

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3671-75

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक किशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत देवडा निवासी शिवगंज जिला सिरोही (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)